

अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण परीक्षा निर्देश

1. प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रातः 10:30 बजे तक (Reporting Time) निर्धारित परीक्षा केन्द्र पर उपस्थित होना अनिवार्य होगा। परीक्षा प्रातः 11:00 बजे प्रारंभ होगी। किसी भी अभ्यर्थी को प्रातः 11:10 बजे के बाद परीक्षा केन्द्र/परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।
2. प्रत्येक अभ्यर्थी अपने साथ जिला एवं सत्र न्यायालय, बिलासपुर द्वारा जारी प्रवेश-पत्र (Admit Card) अनिवार्य रूप से लेकर आयेगा। प्रवेश-पत्र पर निर्धारित स्थान पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर तथा फोटो पर भी अभ्यर्थी के हस्ताक्षर होना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी प्रवेश-पत्र पर अपना नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो स्वयं चिपकाकर लाये। किसी अन्य व्यक्ति द्वारा चिपकाया गया अथवा बिना फोटो वाला प्रवेश-पत्र मान्य नहीं किया जाएगा।
3. प्रत्येक अभ्यर्थी को अपनी पहचान प्रमाणित करने हेतु निम्नलिखित में से कोई एक मूल एवं वैध फोटोयुक्त पहचान-पत्र (Original Photo ID) साथ लाना अनिवार्य होगा: (i) आधार कार्ड; (ii) मतदाता परिचय-पत्र (Voter ID); (iii) ड्राइविंग लाइसेंस; (iv) पासपोर्ट; (v) पैन कार्ड; अथवा (vi) केन्द्र अथवा राज्य शासन अथवा किसी अन्य सक्षम शासकीय प्राधिकारी द्वारा जारी वैध फोटोयुक्त पहचान-पत्र। प्रवेश-पत्र अथवा मान्य मूल फोटोयुक्त पहचान-पत्र प्रस्तुत नहीं करने वाले अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
4. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी अपने साथ केवल निम्नलिखित सामग्री ला सकता है: (i) नीले अथवा काले रंग का बॉल पेन; (ii) पानी की बोतल; (iii) प्रवेश-पत्र; तथा (iv) मूल फोटोयुक्त पहचान-पत्र। उपरोक्त के अतिरिक्त किसी भी अन्य सामग्री को परीक्षा कक्ष में लाने की अनुमति नहीं होगी।
5. जिन अभ्यर्थियों ने सहायक ग्रेड-III तथा शीघ्रलेखक ग्रेड-III (हिन्दी) (हिन्दी) दोनों पदों के लिए आवेदन किया है, उन्हें OMR उत्तर-पत्रिका में पद संबंधी दिए गए तीन विकल्पों में से **“दोनों पद”** विकल्प के सामने ही गोला पूरी तरह भरना अनिवार्य है। ऐसे अभ्यर्थी सहायक ग्रेड-III एवं शीघ्रलेखक ग्रेड-III (हिन्दी) के विकल्पों को पृथक-पृथक से गोला न भरें। केवल एक पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी संबंधित पद के केवल एक निर्धारित स्थान पर गोला पूरी तरह भरें।
6. यदि किसी अभ्यर्थी ने दोनों पदों के लिए आवेदन किया है, किन्तु वह केवल एक पद के लिए पात्र है तथा दूसरे पद के लिए अपात्र है, तो वह OMR उत्तर-पत्रिका में केवल उसी पद के सामने दिए गए विकल्प का गोला पूर्णतः भरे, जिसके लिए वह पात्र है। ऐसे अभ्यर्थी द्वारा **“दोनों पद”** विकल्प का गोला भरना अथवा अपात्र पद के विकल्प को अंकित करना मान्य नहीं होगा तथा ऐसी स्थिति में उसकी अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकती है।
7. दोपहर 12:00 बजे से पूर्व किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। इसके पश्चात् परीक्षा की शेष अवधि में भी किसी विशेष अथवा अपरिहार्य परिस्थिति में परीक्षा कक्ष से बाहर जाने की अनुमति केवल केन्द्राध्यक्ष की स्वीकृति से ही दी जा सकेगी।
8. अभ्यर्थी परीक्षा के दौरान किसी अन्य अभ्यर्थी से बातचीत, संकेत, सामग्री का आदान-प्रदान अथवा किसी प्रकार की अनुचित सहायता प्राप्त करने या देने का प्रयास नहीं करेगा। प्रश्न-पत्र में दिए गए किसी भी प्रश्न अथवा विकल्प पर किसी प्रकार का निशान, गोला, टिक अथवा अन्य कोई Mark नहीं लगाना है। उत्तर का अंकन केवल निर्धारित OMR उत्तर-पत्रिका में ही किया जाना है। प्रश्न-पत्र किसी अन्य अभ्यर्थी को देना, दिखाना अथवा उसकी अदला-बदली करना पूर्णतः निषिद्ध है। ऐसा कृत्य परीक्षा में अनुचित साधन (नकल) के प्रयोग की श्रेणी में माना जाएगा तथा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
9. अभ्यर्थी परीक्षा केन्द्र में शांति एवं अनुशासन बनाये रखेगा तथा केन्द्राध्यक्ष, पर्यवेक्षक, सहायक पर्यवेक्षक एवं वीक्षक द्वारा दिये गये वैध निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
10. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार की पुस्तक, नोट्स, कागज, लिखित सामग्री, मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ डिवाइस, ईयरफोन अथवा अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक/संचार उपकरण को लेकर आना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा तथा ऐसे अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। परीक्षा केन्द्र पर मुख्यवान व इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं को रखने की कोई व्यवस्था नहीं होगी, यदि कोई अभ्यर्थी इन वस्तुओं के साथ परीक्षा केन्द्र पर उपस्थित होता है तो इसकी जवाबदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षा के दौरान किसी अभ्यर्थी के पास प्रतिबंधित सामग्री अथवा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पाया जाता है अथवा वह किसी अनुचित साधन (Unfair Means) का प्रयोग करता हुआ पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध निर्धारित नियमों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी तथा उसकी अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकती है।

OMR कैसे भरें			
गलत तरीके		सही तरीका	
			
हल्का निशान लगाना	अधूर भरना	रेखा खींचना / घेरना	गलत तरीके से भरना
			
		केवल गोला पूरी तरह भरें	

जिला एवं सत्र न्यायालय बिलासपुर (छ.ग.)
सहायक ग्रेड-III एवं शीघ्रलेखक ग्रेड-III (हिन्दी) के पद पर भर्ती हेतु प्रारंभिक लिखित परीक्षा

- :: प्रवेश पत्र :: -

आवेदक का स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज रंगीन फोटो

नाम	कविता साहू
पिता/पति का नाम	बद्री साहू
आवेदन क्रमांक	1103
रोल नंबर	39448
परीक्षा केंद्र	सेंट जोसेफ कान्वेंट उ० मा० शाला, हिंदी माध्यम, तारबाहर चौक, बिलासपुर
परीक्षा की तिथि एवं समय	27-09-2026 समय 11:00 से 12:00 बजे तक

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर

वीक्षक के हस्ताक्षर

वीक्षक क्र.-1

वीक्षक क्र.-2

सही/-

अध्यक्ष

चयन समिति

जिला एवं सत्र न्यायालय बिलासपुर (छ.ग.)

टीप - अभ्यर्थी इस पीडीएफ के प्रथम पृष्ठ पर दिये गये महत्वपूर्ण दिशा-निर्देशों को आवश्यक रूप से प्रिंट कर प्रवेश पत्र के साथ संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होंगे।